

CP CAPITAL
Limited
(Erstwhile Career Point Limited)

पंजीकृत कार्यालय: गांव टंगरी, बानूर, मोहाली, पंजाब – 140601
कोंपोर्ट कार्यालय: सीपी टावर, रोड नंबर 1, आईपीआईए,
कोटा, राजस्थान – 324005
+91-744 3559282 / CIN: L64990PB2000PLC054497
E-mail: Investors@cpil.in / Website: www.cpcapital.in

सी पी कैपिटल लिमिटेड (पूर्व नाम कैरियर प्वाइंट लिमिटेड) की 26वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों के अनुपालन में एवं उक्तके तहत बनाए गए नियम और सौदी (सूचीकृतकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को कोर्पोरेट मामलों के न्यायालय ("एगसीएफ परिपत्र") द्वारा जारी किया गया और सौदी/एगसीएफ/सीएफ/सीडी/सीएफ/सीडी/सीआईआई/सीडी/1/33 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 भावी वर्ष प्रभुत्व और विनियम बंधों द्वारा जारी ("सौदी सल्लुवर") के अनुक्रम में सी पी कैपिटल लिमिटेड (पूर्व नाम कैरियर प्वाइंट लिमिटेड) ("कंपनी") की 26वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मांगवार, सितम्बर 29, 2026 अपराह्न 04.00 बजे एजीएम ("नोटिस") के नोटिस में भेजे जाने वाले व्याख्याओं को लेन-देन करने के लिए बीडियो कॉन्फरेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("एवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एगसीएम परिपत्र और सौदी परिपत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण सहित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक आम बैठक और वार्षिक परिपत्रों की सूचना (वार्षिक परिपत्र) उचित समय पर, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से (यांनी ईमेल के माध्यम से) उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने ई-मेला जगता कंपनी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट और उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक परिपत्र तदर्थ बहिर्गमन के लिए वेबलिन प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। नोटिस और वार्षिक परिपत्र कंपनी की वेबसाइट www.cpcapital.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, सदस्य वेबलिन वीसी/एवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और भाग लेने के निदेश नोटिस में दिए जाएंगे। वीसी/एवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोर्ट की गणना के लिए की जाएगी।

नैतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और

संघार पर एक ईमेल भेजें, जिसमें शेयरधारकों के सभी विवरण नाम, पुरा डाक पता, ईमेल-आईडी, पंजीकृत फोनियो नंबर के अलावा मोबाइल नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर और विशिष्ट नंबर ऊपर दिए गए ईमेल के साथ पैन और आधार कार्ड की स्कैन कопी संलग्न की जानी चाहिए।

कंपनी को शेयर इलेक्ट्रानिक/डिमेडिलियलाइज्ड रूप में रखने वाले लेगिजिस्टर अथवा तब अपने संबंधित ड्रॉप्ट डालने से अपना ईमेल पता शामिल नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपस्टेट करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।

इस संबंध में सभी संघार/प्रश्न कंपनी के आरएएटि को investors@ankitonline.com या Compliance@ankitonline.com पर ईमेल के माध्यम से किया जा सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निदेश और एजीएम पर ड्रॉप्ट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा, उपरोक्त उल्लिखित जानकारी सूचना के उद्देश्य से और कंपनी के सभी सदस्यों के लाभ के लिए प्रासंगिक विवरणों के अनुपालन में जारी की जा रही है।



सी पी कंपिटल लिमिटेड
(पूर्व नाम करिबर पार्ट्स लिमिटेड)

सी.एस. मनमोहन पारीक
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सदस्य क्रमांक: A34B58

जगह: कोटा (राजस्थान)
दिनांक: अगस्त 26, 2026


CAREER POINT
EDUTECH LIMITED

Corporate Office: CP Tower-1, Road No.-1, IPHA, Kota, Rajasthan, India -324005
 CIN: L80302PB2006PLC059674 | Ph: 0744 3552822
 website: www.cpdutech.in | E-mail: info@cpdutech.in

करियर पॉइंट एडुटेक लिमिटेड की 20वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है की कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राधान्यों के अनुपालन में एवं उसके तहत मान्य गए नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रवर्तकता अध्यावस्थापन) विनियम, 2015 द्वारा सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एनसीएआर विनियम') द्वारा जारी की सेबी/एडओ/सीएफओ/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 भारतीय प्रतिभूति और संयुक्त ब्रोकरेज द्वारा जारी ('सेबी संसुक्ति') के, अनुक्रम में करियर पॉइंट एडुटेक लिमिटेड ('कंपनी') की 20वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुकनाम, सितम्बर, 25.2026 अपराह्न 04.00

प्रत्युप संख्या यूआरसी-2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के खंड परवीकण के संदर्भ में संशोधन का विधान
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(क) और
कंपनी (रॉस्टिककरण के लिए प्रविष्टि) विनियम, 2014
के नियम 4 (1) के अनुसार) निम्न, 2014

1. सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसार नए रॉस्टिक, केवीय पंजीकरण क्षेत्र (सीआरटी) भारतीय कोरप्रेर मामलों के संस्थापन, (आईआईएफआई) खंड नंबर 6, 7, 8, 9, 12, 5, आईएफटी मासेस रिला मुद्राण (सिपिया), निप कोड- 122050, फा मेन 2 के साथ इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकरण के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन उपरोक्त द्वाारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी के मूल उद्देश्य में संशोधन है:
स्वयं की या पुत्र पर सीआई आई संगीत के साथ अनेक संगीत गतिविधियां।
3. प्रस्तावित कंपनी के द्वारा संगम और अनुप्रेषण आपन की प्रतिनिधित्व कर निरुपण आशीय उपकरण 00 तीसरी को, चुर्ना, लुत्तुकरण, चुर्ना, उत्तर प्रवेशा संगम, 203131 स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।
4. सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को इस अनुप्रेषण पर आपन के हो जाने स्थिति में आपन आपन इस संगम के प्रेषण के इकाईस तिनि नोतर रिसुप्रे, केवीय पंजीकरण क्षेत्र (सीआरटी) भारतीय कोरप्रेर मामलों के संस्थापन, (आईआईएफआई) खंड नं. 6, 7, 8, 9, 12, 5, आईएफटी मासेस रिला मुद्राण (सिपिया), निप कोड- 122050, फा मेन 2 के साथ इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकरण कार्यालय में भी भेज दें।

केएसएल फेब्रिसर की ओर से
हस्ता-
2. आशीय अप्रमत्त (नामित साझेदार)
3. आशीय अप्रमत्त (नामित साझेदार)

तिथि : 26.08.2026
स्थान : रायूर

अयोध्या के लिए आयोगित की जाणी।

नुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैटअलोन और समेकित वित्तीय के लिए वार्षिक आम बैठक और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना (वार्षिक रिपोर्ट) उचित समय पर, केवल के माध्यम से) उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्का ई-मेल पता कंपनी, रजिस्ट्रार और शेयर प्रतरी प्रतिभागियों (छोपी) के साथ पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट तहत पहुंचने तक उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.cpedutech.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट seindia.com पर भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, सदस्य केवल वीसी/ऑफ़ीस सुविधा को और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और भाग लेने के तरीके के निर्देश नोटिस में दिए जाएंगे। भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत फॉर्म की गणना सुनहने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और वेबसाइट www.cpedutech.in पर investors@ankitonline.com, or.compliance@ankitonline.com पर उनके सभी विवरण नाम, पूरा डाक पता, ईमेल-आईडी, पंजीकृत फोनियो नंबर के अलावा मोबाइल नंबर ऊपर दिए गए ईमेल के साथ पेन और आधार कार्ड की स्कैन कॉपी जलान की जानी चाहिए।

ईमेल/एड्ड रूप में रखने वाले लेखिका जिन्होंने अपनी तक अपने संबंधित ईमेल खतों में अपना ईमेल पता जाता है कि वे इसे अपडेट करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें।

आरटीए को investors@ankitonline.com या Compliance@ankitonline.com पर सूचना को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम में रिपोर्ट से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें। इसका अलावा, उपरोक्त उल्लिखित जानकारी सूचना को नाम के लिए प्रसंगिक परिप्रेक्ष्य के अनुपात में जारी की जा रही है।



करियर पट्ट एडुटेक लिमिटेड
सी. एस. भादिक शर्मा
कंपनी सॉल्यू एण्ड अनुपालन अधिकारी
सदस्य क्रमांक: ACS48235

फॉर्म नं. 14
[सिडियम 33(2) देखें]
सभी अनुमत तरीकों से



वसुली अधिकारी //II का कार्यालय
ऋण वसुली अधिकांश दिल्ली (डीआरटी 1)
चौरी अंगित, जीवन्त तारा डिस्ट्रिक्ट, संसद मार्ग, बर्ड दिल्ली-110001

मांग सूचना

ऋण वसुली एवं वित्तीयपान अधिनियम, 1993 की धाराओं 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना।

RC/167/2024 **18-07-2026**

यूलियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम वैशाली जैन

प्रति

(सीडी 1) वैशाली जैन पत्नी पंकज जैन

(सीडी 2) पंकज जैन पुत्र एन. सी. जैन

घोनी निवासी ए-266 सुरप्रमल विहार, दिल्ली-110092

(सीडी 3) थ्री प्लैटिनम सॉफ्टवेयर पी. लिमिटेड (बिब्लर/डेवलपर) -ए-169, द्वितीय तल, मंडावली फजलपुर, गंगा मार्ग गली शंकरपुर, दिल्ली-110028

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि TA/875/2025 में ऋण वसुली अधिकांश, दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जैन वसुली प्रमाणपत्र की अनुसरा, आप पर 1/1996381840 (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख तिरस्र हजार आठ सौ अठारह और पैसे चालीस मात्र) की राशि, 07/05/2018 से वसुली तक 8.85% मासिक चक्रवृत्ति व्याज की दर से लखित और मसिख के व्याज तथा रु 122000 (रुपये एक लाख बाईस हजार मात्र) की लागत सहित, देय हो गई है (संयुक्त रूप से और पृथक रूप से/ पूर्ण/ सीमित)।

2. आपको एतद्वारा निदेशित किया जाता है कि नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा करने पर वसुली बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बचता ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. आपको एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि अगली सूचनाई की तारीख को या उससे पहले शायदसपर पर अपनी परिस्थितियों का विवरण घोषित करें।

4. आपको एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि अगले की कार्यवाही के लिए 20/11/2026 को प्रातः 10:30 बजे अयोध्यास्थानी के समक्ष उपस्थित हों।

5. उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे: (ए) इस नोटिस के प्रसृत बाद प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही की अवधि के लिए देय एसा व्याज। (इ) इस नोटिस और मांग पत्र तथा अन्य प्रक्रियाओं की लामील के संबंध में किए गए सभी खर्च, प्रमाण और व्यय तथा देय राशि की वसुली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों में हुए सभी खर्च, प्रमाण और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की महर इस तारीख को: 18/07/2026 के अधीन हैं।

निजलन शर्मा,
वसुली अधिकारी - II
ऋण वसुली अधिकांश, दिल्ली (डीआरटी 1)

बैंकलेख, ab.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एवं जमानती (बॉ) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित

A) रिजर्व प्राइस (करोड़ रुपये में) B) ईएमडी (करोड़ रुपये में) C) ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख और समय D) बोली बढ़ाने की रकम (करोड़ रुपये में) E) प्रॉपर्टी देखने की तारीख और समय	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति लेनदार के सज़ान में ऋणधारों का विवरण
A) 18.45 लाख रुपये B) 1.85 लाख रुपये C) 20,000 रुपये	24.09.2026 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. तक	संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए दायर/स्थगन नहीं है

एवदानी नहीं होगा। (3) प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं की जाएगी। पहली बोली आरक्षित